64 (11) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 1.1.2001 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें सरकार के इस निर्णय का उल्लेख है कि उन रूग्ण/अव्यवहार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिनके लिए पुनर्वास/पुनरूद्धार पैकेज विचाराधीन हैं, के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कम करने का प्रस्ताव, जिसे निदेशक मंडल और प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया है, को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं हैं।

2. सरकार ने उपरोक्त निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों और निदेशक मंडल स्तर और उसके निचले स्तर के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू करने के प्रश्न पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया है कि अब से प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों और निदेशक मंडल स्तर और निचले स्तर के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने के प्रस्ताव को जिसे उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया है, अनुमोदित करने का प्राधिकार होगा।

3. उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप सरकार ने निम्नानुसार भी निर्णय लिया हैः

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों में जहां सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है, निदेशक मंडल स्तर के पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम 56 वर्ष नियत करना ताकि सेवानिवृत्ति के पूर्व शेष न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि उसी सि'ांत पर उपलब्ध हो जो उन सरकारी उद्यमों, जहां सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, के संबध में निदेशक मंडल स्तर से पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम कट–ऑफ आयु 58 वर्ष है। यह इस विभाग के दिनांक 3.2.1999 के का.ज्ञा. सं. 18 (6)/98– डी पी ई के आंशिक संशोधन में है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उन सरकारी उद्यमों के मामले में जहां सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 58 वर्ष की गई है, निदेशक मंडल स्तर से निचले स्तर के पदों पर सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा विधि द्वारा भर्ती के लिए पुनः पिछली अधिकतम आयु सीमा को लागू करना। यह इस विभाग के दिनांक 28.6.1999 के का.ज्ञा. सं. 18(6)/98 जी एम के आंशिक संशोधन में होगा। कम की गई अधिकतम आयु सीमा लागू करने के लिए कम से कम 3 महीने की उचित अवधि प्रदान की जाएगी।

4. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए उपरोक्त निर्णयों को नोट करने का अनुरोध किया जाता है। उपर्युक्त आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों को भी इसकी जानकारी दी जाए।

(लो.उ.वि. का 22 अगस्त, 2001 का का.ज्ञा. सं. 18(10)/99– जीएल –33)

(क्रम सं. 13 पर का.ज्ञा. सं. से दिनांक 1.4.2005 (जी एल–62) के तहत संशोधित)